न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, भोपाल संभाग भोपाल

R 340-PBR/17 प्रकरण कमांक –

परसराम आत्मज श्री नाथूराम कनाठे
आयु 65 वर्ष
निवासी – चिल्कापूर गुदगांव, तहसील भैसदेही
जिला बैतूल, रीविजनकर्ता

विरूद्व

तुलसीराम पिता नाथूराम जाति कुन्बी
निवासी – चिल्कापूर गुदगांव तह0 भैसदेही जिला बैतूल म0 प्र0 प्रतिप्रार्थी

निगरानी/रीविजन आवेदन अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भुराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय ,

रीविजनकर्ता द्वारा यह रीविजन अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह0 भैसदेही जिला बैतूल द्वारा प्रकरण क्रं 14 – अ/27/15 – 16 में पारित आदेश दिनांक 26. 11. 2016 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र माननीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 भैसदेही के व्य0 वाद क्रं 38ए/12 में पारित निर्णय दिनांक 30/06/2014 के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करने एवं बटवारा किये जाने बाबत् दिनांक 14/07/2015 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत किया था।

जिसके विरूद्व रीविजनकर्ता/आवेदक द्वारा आपत्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश भैसदेही द्वारा पारित निर्णय अंतिम नही है। व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक निर्णय एवं डिकी पारित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निराकरण किया जाना श्रीमान तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

रीविजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ती का अवलोकन कर तहसीलदार महोदय ने प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 15/09/15 को निरस्त कर दिया।

श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 15/09/15 को आवेदन निरस्त करने के उपरांत प्रतिप्रार्थी ने उक्त आदेश की नियत समयावधि में अपील/रीविजन प्रस्तुत नही की। इस कारण तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/09/15 अंतिम हो गया। तथा प्रतिप्रार्थी का पुनः आवेदन प्रस्तुत करने अथवा अपील/रीविजन करने का अधिकार समाप्त हो गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 340–पीबीआर/2017 **जिला बैतूल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.02.17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	